

**बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन)
अधिनियम 2010 के अन्तर्गत धारा-3 उपधारा -(6) के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति का प्रमाण पत्र**

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम 2010 की धारा-3 उपधारा -(6) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्पत्तिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण:-

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	रैयत / संबंधित का नाम एवं पुरा पता	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या	खाता सं०	प्लॉट संख्या	गैर कृषि परियोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकवा	चौहद्दी	गैर कृषि परियोजन का प्रकार	सम्पत्तिवर्तन के उपरान्त देय वार्षिक लगान/शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aurangabad	Aurangabad	Aurangabad	Vivekanand VIPF Institute of Education Bignanikanagar, Yari, Anandpura Road, Aurangabad (Bihar) 824101	Yari	871	38,104	Plot No. 419, 409	80 Decimil	N- Plt. 403 & Ramsewak Singh S-Plt. 420 & 408, E- Plt. 403 & 408 W- Saroj Devi & Pind	Educational Activity	100/एकड़ अलावे शेष

ज्ञापांक 358 दिनांक 28-5-16

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- Vivekanand VIPF Institute of Education,

Bignanikanagar, Yari, Anandpura Road, Aurangabad (Bihar) को सूचनार्थ प्रेषित।



अनुमंडल पदाधिकारी
औरंगाबाद।

अनुमंडल पदाधिकारी
औरंगाबाद।